न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी :श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 1 /2019

1. गुरदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 1 आर द्वितीय तहसील श्रीकरणपुर।

.......वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजरथान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर।

....प्रतिवादी

अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय-- दिनांक : 07/01/2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि चक 1 आर द्वितीय के मु0न0 38 के किला न0 1, 2, 3, 10 व 18 मे नहरी सिंचित है। जिसकी सिंचाई सुविधा वर्षो से प्राप्त हो रही है। यह रकबा जमाबंदी सम्वत 1938 ता 42 मे भी कमाण्ड दर्ज है, परंतु वर्तमान जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड मे यह रकबा अनकमाण्ड दर्ज किया हुआ है, जिसे सही कर नहरी दर्ज किया जाना जरूरी है। अतः इस रकबा को राजस्व रिकॉर्ड मे नहरी दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

प्राप्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर चक 1 आर की राजस्व रिकॉर्ड जमावंदी सम्वत 2071 ता 74 के मु0 न0 38 का किला न0 1, 2, 3, 10, 18, 4 की कुल 1.518 है0 वारानी दर्ज है एवं किला न0 5/1, 5/2, 6, 7/1, 8, 9, 11, 12, 13/1, 13/2, 14 ता 17, 19 ता 25 की कुल 4.617 है0 नहरी दर्ज है। मौके पर 38 के किला न0 1, 2, 3 एवं 10 मे पानी तथा उक्त किलो मे गेंहू की फसल की बिजाई/ काश्त है। उक्त भूमि पर कोई विवाद नही है एवं किसी द्वारा स्थगन के आदेश नही है। अधिशाषी अभियंता, जलसंसाधन उत्तरखण्ड, श्रीगंगानगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांकः–7697 दिनांक 11.01.2018 मे अंकित किया है कि कार्यालय अभिलेख के अनुसार चक 1 आर द्वितीय के मु0 न0 38 (पत्थर न0 117/75) मे 16 बीघा 17 बिस्वा रकबा कमाण्ड है एवं 07 बीघा 19 बिस्वा रकबा अनकमाण्ड है। इस संबंध मे तहसीलदार श्रीकरणपुर से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो कि पत्र क्रमांक टीआरए/ 833 दिनांक 31.12.2018 से प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर चक 1 आर द्वितीय के मु0 न0 38 के किला न0 1, 2, 3, 10 व 18 की कुल 5.00 बीघा नहरी भूमि बगा सिंह वगैरा के नाम दर्ज है। उक्त मु0 न0 38 का यह रकबा राजस्थान (उपनिवेशन) गंगनहर क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1956 के तहत आवंटन नही है। अतः सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(7) उप–/2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूषी खातेदारों से अंतर राशि वसूल नही है, इसलिए इस प्रकरण मे राजस्व विभाग की अनकमाण्ड से कमाण्ड हुए रकबे की अंतर राशि जमा होने से शेष नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा चक 1 आर द्वितीय के मु0न0 38 के किला न0 1, 2, 3, 10 व 18 को बारानी से नहरी दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार यह रकबा चक 1 आर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 मे बारानी दर्ज है। मौका पर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

किला न0 1, 2, 3 व 10 मे पानी से काश्त है। चक 1 आर की जमाबंदी सम्वत 1990 मे यह रकबा बगा सिंह आदि के नाम दर्ज है जिसमे मु0 न0 38 के किला न0 1, 2, 3 व 10 नहरी दर्ज है। यह रकबा राजस्थान (उपनिवेशन) गंगनहर क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1956 के तहत आवंटन नही होने के कारण मौरूषी खातेदारों से अंतर राशि वसूल योग्य नही है, इसलिए इस प्रकरण मे राजस्व विभाग की अनकमाण्ड से कमाण्ड हुए रकबे की अंतर राशि जमा होने से शेष नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 आर द्वितीय के जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 12/21 के मु0 न0 38 के किला न0 1, 2, 3 व 10 को बारानी से नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।,

निर्णय आज दिनांक 07/01/२०19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

[stamp: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)]

[signature]

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner